

मेधा केंद्र पर राजस्व विभाग की भावना के
रखा गया है, जिसके अन्तर्गत अथवा मेरिट
व नवीन राजस्व प्रणाली का अर्थवा मेरिट
तहत पक्षकारों के सुनने का प्रयत्न किया जायेगा।
के आधार पर पक्षकारों को नोटिस
अतः इस प्रकरण की कार्यवाही को नोटिस
द्वारा सूचित किया जाता है कि यह प्रकरण को नोटिस
केम्प ग्राम पंचायत मुख्यालय अटल सेवा केन्द्र कोसेलाव
पर आयंदा दिनांक. 20.06.2017 को सुनाया जायेगा।

राजस्व लोक अदालत केम्प वर्ष-2017

राजस्व विविध सं. 75/2014 दौलतराम बनाम: चम्पा वगैरा
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212(ए) आर.टी.एक्ट, 1955

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर (पाली)

दिनांक 20.06.2017

पक्षकार उपस्थित।

यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान "न्याय आपके द्वार" वर्ष 2017 के दौरान केम्प-अटल सेवा केन्द्र कोसेलाव में बरोज आज पेश हुई। हमने, राजस्व लोक अदालत की भावना के तहत पक्षकारों की दलील को सुना, साथ ही पत्रावली पर उपलब्ध तमाम रेकर्ड इत्यादि का अवलोकन व परीक्षण किया। प्रश्नगत मामले में हमने पाया कि गत आदेश तालिका 18.12.2014 से लगाय आज तक यह पत्रावली प्रार्थी-पक्ष की शहादत के लिए विचारार्थ रही है, परन्तु पर्याप्त व अनेक अवसर के दिए जाने के बावजूद भी प्रार्थी-पक्ष द्वारा शहादत नहीं करवायी गई है, ऐसी विधिक स्थिति में इस प्रकरण की कार्यवाही को आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। अतः इस प्रकरण की आगामी कार्यवाही को ड्रॉप किया जाता है। यह आदेश बरोज आज केम्प कोर्ट में सुनाया गया। पत्रावली फैसल में शुमार होकर नंबर से कम हो।



उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर (पाली)